

प्रारूप-2.1

भाग-1

परियोजना का नाम:- जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। - जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 8.00 किमी० लम्बाई में किया जाना है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से मुनस्यारी विकास खण्ड के दूरस्थ गावों को मोटर मार्ग की सुविधा प्राप्त होगी।  
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। - 1:50000 का मानचित्र संलग्न है।  
ग) परियोजना की लागत। - ₹40.40 लाख।  
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। - N/A  
ङ) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। - मार्ग के निर्माण के समय स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में समय-समय पर अन्य कार्य एवं विकास के अवसर बढ़ेंगे। मार्ग पूर्ण होने के उपरान्त ग्रामीण जनसंख्या को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं कृषि से सम्बन्धित लाभ मिलेगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:  
(i) रोड निर्माण हेतु ली जा रही वन पंचायत भूमि - 0.700 हे०  
(ii) मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही वन पंचायत भूमि - 0.125 हे०  
(iii) रोड निर्माण हेतु ली जा रही राज्य भूमि - 3.500 हे०  
(iv) मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही राज्य भूमि - 0.625 हे०  
**कुल योग (वन भूमि) - 4.950 हे०**  
(i) रोड निर्माण हेतु ली जा रही नाप भूमि - 1.400 हे०  
**कुल योग (नाप भूमि) - 1.400 हे०**
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है  
क) परिवारों की संख्या - नहीं।  
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या - नहीं।  
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) - नहीं।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) - नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) - हाँ।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। -

दिनांक - / / 2019

स्थान - डीडीहाट

(*इ. जे. प्रताप*)

कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रो०ख०लो०नि०वि०  
डीडीहाट

(*इ. जे. प्रताप*)  
सहायक अभियन्ता  
प्रो० ख० लो० नि० वि०  
डीडीहाट

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति - जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)  
- उत्तराखण्ड/राज्य सरकार।  
- पिथौरागढ़।  
- पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।  
- 4.950 हेक्टेयर।
- (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र  
(ii) जिला  
(iii) जिला वन प्रभाग  
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
8. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति - वन पंचायत एवं राज्य भूमि।
9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:  
(i) वन का प्रकार  
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व  
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना  
(iii) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा
10. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी - वन पंचायत एवं राज्य भूमि।
11. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी - संलग्न है।
12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :  
(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :  
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)  
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)  
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)  
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे
13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) - नहीं।
14. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें  
(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।  
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।
15. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे : - हाँ।

वठपठ व सिविल आपन भूमि

संलग्न है.  
भू-क्षरण की सम्भावना नहीं है।

1km  
संलग्न है.

हॉ। अपरिहार्य व युक्त है.

लाभ नहीं.

- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) - नहीं।
- (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही - **लाए नई**
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) - **नहीं**
16. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। - संलग्न है।
- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। - संलग्न है।
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। - संलग्न है।
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। - हाँ।
- (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : - संलग्न है।
- (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। - हाँ।
17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। - हाँ।
18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों - संलग्न है। **प्रयोजित। स्थानों में लागू गई**

**इस राज्य सरकार/भारत सरकार (द्वारा) शता का अनुपालन किया जाता है।**

स्थान: **डीडीहाट पिथौरागढ़**  
 तारीख: **30-8-2019**

हस्ताक्षर  
 नाम  
 शासकीय मुद्रा

(**डॉ. महेश्वर प्रताप सिंह**)  
 1/89  
**कनिष्ठ अभियन्ता**  
 प्रा०ख०तो०नि०वि०  
 डीडीहाट

(**डॉ. गजेश्वर देव जोशी**)  
 सहायक अभियन्ता  
 प्रा० ख० तो० नि० वि०  
 डीडीहाट (पथौरागढ़)

(**विनय कुमार भांगुर**)  
 जिला वन अधिकारी  
 पिथौरागढ़ वन विभाग

(**डॉ. विजा कुमार भांगुर**)  
 जिला वन अधिकारी  
 पिथौरागढ़

## प्रारूप-4

### भाग-3

19. या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक - हॉ।  
द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण  
टिप्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख  
संलग्न की जाय।
20. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक हॉ।  
की सिफारिशों से सहमत हैं।
21. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए आख्या संलग्न है।  
वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

## प्रतिवेदन

**परियोजना का नाम:- जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)**

जनपद पिथौरागढ़ तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति शा०सं० 2839/111(2)/16-42(एम.एल.ए.)/2016 दिनांक 21.10.2016 द्वारा 8.00 किमी० हेतु लागत ₹40.40 लाख की प्राप्त हुई है।

मार्ग का समरेखन चैनेज सं० 0.000 से 2.000 किमी० तक नाप भूमि, 2.000 से 3.000 किमी० तक वन पंचायत भूमि, 3.000 से 8.000 किमी० तक राज्य भूमि प्रभावित होती है। सम्पूर्ण भूमि का कुल क्षेत्रफल 6.350 हे० है। प्रस्तावित मार्ग का भूगर्भीय निरीक्षण भी कर लिया गया है तथा दिनांक 19/09/2018 को याचक विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण भी कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न है।

मार्ग निर्माण हेतु 8.00 किमी० लम्बाई एवं 7.00 मी० चौड़ाई हेतु भूमि मांगी जा रही है। मोटर मार्ग निर्माण तथा मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही भूमि का विवरण निम्नवत् है।

(i) रोड निर्माण हेतु ली जा रही वन पंचायत भूमि	- 0.700 हे०
(ii) मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही वन पंचायत भूमि	- 0.125 हे०
(iii) रोड निर्माण हेतु ली जा रही राज्य भूमि	- 3.500 हे०
(iv) मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही राज्य भूमि	- 0.625 हे०
<b>कुल योग (वन भूमि)</b>	<b>- 4.950 हे०</b>
(i) रोड निर्माण हेतु ली जा रही नाप भूमि	- 1.400 हे०
<b>कुल योग (नाप भूमि)</b>	<b>- 1.400 हे०</b>

अतः दूरदराज के लोगों को मोटर मार्ग से जोड़ने के लिए परियोजना हेतु 4.950 हे० वनभूमि जनहित में लो०नि०वि० डीडीहाट को हस्तान्तरण होना आवश्यक है।

(इ. जे. प्रताप शर्मा)  
1/84  
कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
डीडीहाट

(इ. जे. प्रताप शर्मा)  
सहायक अभियन्ता,  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
डीडीहाट

(इ. जे. प्रताप शर्मा)  
अधिशारी अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
डीडीहाट